

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/विविध पार्ट-2/2018/

दिनांक:

-:आदेश:-

निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोर्स/पाठ्यक्रम/परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जिस परीक्षा में बैठने की अनुमति चाही है
1	भगवान स्वरूप माहेश्वरी फार्मासिस्ट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालेडा-टोंक	(DCO) DRUG CONTROLLER परीक्षा वर्ष 2018
2	पवन कुमार शर्मा फार्मासिस्ट	केन्द्रीय कारागृह चिकित्सालय जयपुर	M .A. Final भूगोल परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने बाबत।
3	अंकित अग्रवाल फार्मासिस्ट	राजकीय चिकित्सालय विधानसभा जयपुर	राजस्थान विधान सभा द्वारा आयोजित प्रतिवेदक (अंग्रेजी) परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित होने बाबत।
4	अनिता चौधरी फार्मासिस्ट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डाभीम सिंह जयपुर द्वितीय	एन.आई.ओ.एस. ओपन बोर्ड से एक वर्षीय कम्युनिटी हेल्थ कोर्स करने बाबत।
5	अनूप कुमार छाबडा फार्मासिस्ट	ज. ला. नै. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अजमेर	National Anti Doping Agency, New Delhi द्वारा आयोजित Doping Control & Blood Collection Officer परीक्षा वर्ष 2017-18 में आवेदन करने बाबत।
6	महिपाल सिंह जेवलिया नर्सिंग ट्यूटर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीकानेर	पंजाब युनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पत्राचार द्वारा पीजी डिप्लोमा इन स्टेटिक्स (एक वर्षीय कोर्स सत्र 2017-18)
7	मोहित नागल, फार्मासिस्ट	सिटी डिस्पेन्सरी न.6 बीकानेर	पत्राचारी द्वारा डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट कोर्स वर्ष (2017-18) नई दिल्ली से करने बाबत।
8	ओमप्रकाश पलसानिया, फार्मासिस्ट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवन जयपुर प्रथम	वर्तमान खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वर्ष 2017-18 एम.एससी (केमिस्ट्री प्रिवियर्स) व ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर परीक्षा 2013 में बैठने की अनुमति।

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
 2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
 3. इन्हें केवल परीक्षा/साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
 4. परीक्षा/साक्षात्कार की तैयारी हेतु इन्हें कोई अवकाश देय नहीं होगा।
 5. चयन होने पर नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकार करा कर कार्य मुक्त होकर कार्यग्रहण करना होगा।
 6. राज्यहित में उक्त अनापत्ति को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास होगा।
- नोट:-** संविदा कर्मियों के मामले में उक्त आदेश/स्वीकृति 'लागू नहीं होगी।

राकेश शर्मा
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 08/02/18

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/विविध पार्ट-2/2018/106

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
2. संबंधित समस्त प्रधानाचार्य।
3. संबंधित समस्त अधीक्षक।
4. संबंधित समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

राकेश शर्मा
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर